प्राविधिक शिक्षा निदेशालय
उत्तर प्रदेश
विकास नगर, कानपुर–208002
Visit us: http:// upted.gov.in/directorate

Phone No. : 2582084
Fax No. : 2580965
E-mail : directordteup@gmail.com

–:आदेश:–

प्राविधिक शिक्षा (डिप्लोमा सेक्टर), उत्तर प्रदेश के नियंत्रणाधीन राजकीय पालीटेक्निक संस्थानों के समूह "ग" श्रेणी में तैनात निम्नलिखित कार्मिक को उनके नाम के सम्मुख अंकित संस्था में स्थानांतरित किया जाता है:–

क्रम सं0	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	संस्था जहां स्थानान्तरित किया जाता है	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री चन्द्र मौलि मिश्र कर्मशाला अनुदेशक, वेल्डिंग शाप	राजकीय पालीटेक्निक, भिलिहिली आजमगढ़	राजकीय महिला पालीटेक्निक, गोरखपुर	स्वंय के अनुरोध पर

उल्लेखनीय है कि जिन कार्मिकों का स्थानान्तरण स्वयं के अनुरोध पर है, उन्हें किसी प्रकार का कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

सम्बन्धित संस्था प्रधानाचार्यो को निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरित किये गये उपरोक्त कार्मिकों को प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बगैर प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा आयोजित सम–सेमेस्टर परीक्षा/वार्षिक परीक्षा/बैक पेपर/विशेष बैक पेपर परीक्षा जून, 2022 एवं मल्टी प्वाइंट इन्ट्री एण्ड क्रेडिट सिस्टम परीक्षा, जून–2022 समाप्ति के पश्चात् अविलम्ब कार्यमुक्त करके, उन्हें नये तैनाती स्थान पर तत्काल कार्यभार ग्रहण करने का निर्देश दें।

स्थानान्तरित कार्मिकों द्वारा तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

उपर्युक्त स्थानान्तरण आदेश की अवहेलना अनुशासनहीनता की परिधि में माना जायेगा। स्थानान्तरित कार्मिक के स्थानान्तरण रोकने सम्बन्धी प्रत्यावेदनों को अग्रसारित न किया जाये और यदि उपरोक्त कार्मिक इन आदेशों के विरुद्ध दबाव डालने का प्रयास करेगा, उसके इस कृत्य/आचरण को **'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली–1956' के नियम–27** का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध **'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली–1999'** यथा संशोधित के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही करते हुये निलम्बन के सम्बन्ध में भी विचार किया जायेगा। स्थानान्तरण आदेश के अनुसार कार्यभार न छोड़ने पर सम्बन्धित कर्मचारी के वेतन का भुगतान नहीं किया जायेगा तथा उसकी सूचना सम्बन्धित कोषाधिकारी को दे दी जायेगी।

उपरोक्त स्थानान्तरण आदेश शासन के पत्रांक–संख्या–11/2022/363–सामान्य/सैंतालिस–का–4–2022–1/3/96, दिनांक 15.06.2022 में निहित प्रतिबन्धों/प्राविधानों के परिप्रेक्ष्य में निर्गत किये जा रहे हैं।

(मनोज कुमार)
निदेशक,

पृ0सं0: 13975–83 /ई–स्था0–स्थाना0अराज(समूह "ग/घ") कानपुर : दिनांक–30.06.2022

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव,, उत्तर प्रदेश शासन, प्राविधिक शिक्षा विभाग, लोक भवन लखनऊ।
2. विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, प्राविधिक शिक्षा अनुभाग–2, विधान भवन लखनऊ।
3. निदेशक, शोध विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान, उत्तर प्रदेश, कानपुर।
4. वित्त नियंत्रक, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश कानपुर।
5. संबंधित संयुक्त निदेशक प्राविधिक शिक्षा क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तर प्रदेश।
6. सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
7. संबंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8. संबंधित संस्था प्रधानाचार्य, राजकीय पालीटेक्निक, संस्थान उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ कि वे अपनी संस्था से संबंधित कार्मिकों को उपरोक्तानुसार कार्यमुक्त कर नवीन तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दें तथा कृत कार्यवाही से निदेशालय को अविलम्ब सूचित करें।
9. संबंधित कार्मिक द्वारा संस्था प्रधानाचार्य, राजकीय पालीटेक्निक संस्थान, उत्तर प्रदेश।

(डी0के0वर्मा)
उप निदेशक.